**भारत सरकार**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

**औषध विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 850**

**दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**औषधियों की कीमतों पर माल एवं सेवा कर का प्रभाव**

**850. श्री अजय संचेती:**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधियों की कीमतों पर माल एवं सेवा कर का क्या प्रभाव है;

(ख) माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के बाद अनिवार्य औषधियों की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ औषधियों की कीमतों में कमी की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि ये औषधियां कम कीमतों पर जनता को उपलब्ध हो?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; जहाजरानी मंत्रालय और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया)**

(क) और (ख): सरकार ने फॉर्मूलेशनों की कीमतों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रभाव का विश्लेषण किया है और यह पाया है कि गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के मूल्‍यों पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो कुल फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र का लगभग 80% है। अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के मामले में, करीब 4 प्रतिशत फॉर्मूलेशन के मूल्‍यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जिसमें मुख्‍यत: टीकाकरण कार्यक्रम, कैंसर रोधी, ओरल रिहाइड्रेशन साल्‍ट, गर्भ निरोधक के साधन इत्‍यादि शामिल हैं। शेष ज्‍यादातर फॉर्मूलेशनों में, जो कुल फार्मा क्षेत्र का करीब 16 प्रतिशत बैठता है, करीब 2.30 प्रतिशत तक की मूल्‍य वृद्धि हुई है।

(ग)**:** सरकार ने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) की संशोधित अनुसूची-1 में सूचीबद्ध 851 फामूलेशनों/(पैक) के अधिकतम मूल्य निर्धारित किए हैं। संबंधित विवरण राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) की वेबसाइट www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध हैं। राष्‍ट्रीय आवश्‍यक दवा सूची, 2015 (एनएलईएम, 2015) के अंतर्गत मूल्यों में स्लेब-वार कमी का ब्यौरा अनुलग्‍नक में दिया गया है।

--2/-

-2-

(घ): एनपीपीए डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत अनुसूचित और साथ ही गैर-अनुसूचित दवाइयों के मूल्‍यों की प्रभावी निगरानी कर रहा है, ताकि आम लोगों को ये फॉर्मूलेशन अधिसूचित अधिकतम मूल्‍यों पर उपलब्‍ध हों और मूल्‍य में वृद्धि डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों तक सीमित रहे। यह राज्य औषध नियंत्रकों/व्यक्तियों से प्राप्त संदर्भों, खुले बाजार से नमूनों की खरीद और बाजार आधारित आंकड़ों से प्राप्त रिपोर्टों, शिकायत निवारण वेबसाइट ‘फार्मा जन समाधान’ और ‘केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली’ (सीपीग्राम) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य प्रभारित करने वाली कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई करता है। अनुमत सीमा से परे फॉर्मूलेशनों के मूल्‍य में वृद्धि की निगरानी ऑल इंडिया ओरिजिन केमिस्‍ट एंड डिर्स्‍टीब्‍यूटर्स लिमिटेड (एआईओसीडी) (फार्मा ट्रैक डेटा) और व्‍यक्तियों से प्राप्‍त शिकायतों के आधार पर की जाती है।

दवाइयों के उत्पादन और उपलब्‍धता की भी नियमित रूप से एनपीपीए द्वारा निगरानी मुख्‍यत: राज्‍य सरकारों के औषध नियंत्रण प्रशासन के माध्‍यम की जाती है। जब कभी भी राज्‍य औषध नियंत्रकों द्वारा कमी की सूचना दी जाती है अथवा जब एनपीपीए के संज्ञान में आता है, विनिर्माताओं को कमी के स्‍थान पर दवाइयां भेजने के लिए जोर दे कर औषधियों की उपलब्‍धता सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्‍मक कदम उठाए जाते हैं।

**अनुलग्नक**

|  |  |
| --- | --- |
| अधिकतम मूल्यों के संबंध में स्लेब-वार प्रतिशत कमी | फार्मूलेशनों की संख्या |
| 0<= 5% | 234 |
| 5<=10% | 134 |
| 10<=15% | 98 |
| 15<=20% | 98 |
| 20<=25% | 93 |
| 25<=30% | 65 |
| 30<=35% | 46 |
| 35<=40% | 24 |
| 40% से अधिक | 59 |
| एनएलईएम 2015 में कुल फार्मूलेशन | 851 |

\*\*\*\*\*